विलोपित

<u>न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर</u>

श्री एच.के. श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 21-4-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-4-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरावलोकन रिव्यू 1260-II/14

1. सरयू प्रसाद पुत्र श्री रामनाथ ब्राहमण
2. शिवसेवक पुत्र श्री रामनाथ ब्राहमण
3. नाथूराम पुत्र श्री केमला राम ब्राहमण समस्त निवासीगण– ग्राम ढाबा, तिवरियान तहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0

-- आवेदकगण

बनाम

1. हृदय लाल पुत्र श्री रामावतार निवासी– ग्राम ढाबा, तिवरियान तहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0 --- अनावेदक

<u>पुनराविलोकन (रिव्यू) आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्वं सहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 19/03/2014 पारित द्वारा माननीय सदस्य श्री अशोक शिवहरे राजस्व मण्डल ग्वालियर, प्रकरण कमांक 906/दो/06 व उनवान हृदय लाल बनाम सरयू प्रसाद आदि</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनराविलोकन आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

रिव्यु. प्रकरण कमांक : 1260/III/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24.4.2014	न्यायालयीन प्रकरण कमांक 906/II/2006 में पारित आदेश दिनांक 19.3.14 के पुनर्विलोकन हेतु म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन में अंकित किये हैं। 3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा पुर्नविलोकन आवेदन के समर्थन में दिये गये तर्को पर विचार करने न्यायालयीन आदेश दिनांक 19.3.14 की समीक्षा करने पर पाया गया कि आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि उभय पक्षों की सहमति के आधार पर तहसील न्यायालय में बटवारा हुआ है जिसके विरूद्व किसी भी पक्ष को अपील या पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं है । आवेदक के अभिभाषक के इस तर्क पर विचार करने पर स्थिति यह हे कि यदि आवेदक उक्ताशय की आपत्ति कर रहे है तब उन्हें यह आपत्त प्रथम अपीलीय न्यायालय अथवा द्वित्तीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष करना चाहिये थी, ऐसी तथ्यात्मक आपत्ति प्रथम अपीलीय न्यायालय में ही उठाई जा सकती है और जब प्रथम अपीलीय न्यायालय	

एंव द्वित्तीय अपीलीय न्यायालय में आपत्ति नहीं की गई, वरिष्ठ न्यायालय से प्रकरण निर्णीत होने के उपरांत पुर्नविलोकन में इस प्रकार की आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

4/ पुनरावलोकन की स्वीकारोक्ति हेतु संहिता की धारा 51 में वर्णित अनुसार पुनरावलोकन आवेदन ठोस आधारों पर आधारित होना चाहिये। संहिता की धारा 51 के अनुसार पुनरावलोकन हेतु कम से कम निम्न आधारों में से कोई प्रबल आधार होना चाहिये –

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चला लिया है जो सम्यक तत्परता बरतने पर भी उसय समय जब आदेश किया गया था, पक्षकार के संज्ञान में नहीं आई अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकी।
2. मामले के अभिलेख से प्रकट कोई ऐसी भूल या गलती, जो स्पष्ट दिखाई देती हो, भी नहीं बता सके हैं।
3. अन्य ऐसा कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बता सके, जिसके आधार पर न्यायालयीन आदेश दिनांक 19.3.14 का पुनरावलोकन किया जाना लाजमी हो।

आवेदक के अभिभाषक आदेश दिनांक 19–3–14 के पुनरावलोकन किये जाने हेतु कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सके एंव यह भी समाधान नहीं करा सके कि उक्त आदेश का पुनरावलोकन किया जाना किन कारणों से लाजमी है। अतः पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। पक्षकार टीप करें। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर